



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0बजट-44/2019-935 दिनांक : 26/9/19

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची/ खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी/ गुमला वन प्रमण्डल, गुमला/ लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा/ सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा/ दुमका वन प्रमण्डल, दुमका/ पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़/ गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा/ साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज/ जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा/ सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा/ कोल्हान वन प्रमण्डल, चाईबासा/ पोड़ाहाट वन प्रमण्डल, चाईबासा/ चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा/ सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला/ जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर/ विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, चाईबासा/ विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, दुमका/ वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, राँची ।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना" (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापित लाह प्रसंस्करण इकाईयों में अतिरिक्त कार्य (स्ब बनाने हेतु भट्टी के लिए सामग्री/उपस्कर आदि), Lac Processing Unit, Tree-Borne Oil seeds Processing Unit, Forest Nut (Chironji) Processing Unit की स्थापना, रीजन एवं प्रमण्डल स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समिति के उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रेरणा स्वरूप परिसंपत्तियों के सृजन, सीसल रेशा का उत्पादन एवं Lac बनाने हेतु भट्टी के लिए सामग्री/उपस्कर आदि हेतु कुल ₹0 465.332 लाख (चार करोड़ पैंसठ लाख तैंतीस हजार दो सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-47/2019-33/स्वी0 व0प0 दिनांक 05.09.2019 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-47/2019-82/आ0 व0प0 दिनांक 05.09.2019 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 01 वानिकी, लघु शीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष- 09 "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल ₹0 465.332 लाख (चार करोड़ पैंसठ लाख तैंतीस हजार दो सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796090103	345.416
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796090323	119.916
कुल :-		465.332

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के अनुलग्नक-1 से 6 पर वर्णित प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं इस कार्यालय को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्य दर अनुलग्नक-7, तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन अनुलग्नक-8 एवं ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-9 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या- 19S240601796090103, 19S240601796090323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड होंगे, जिनके द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।

7. योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य सक्षम स्तर से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन के अनुरूप किया जायेगा।

8. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा



वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो। अगर वित्तीय लक्ष्य से ज्यादा देनदारियाँ सृजित की जाती हैं, तो उन दावों के सृजन के लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।

10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाता/ डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी, या GeM से किया जाएगा।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक सार (60P) वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

15. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा


अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-44/2019- 935 दिनांक- 26/9/19

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची/मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान, झारखण्ड, राँची/मुख्य वन संरक्षक -सह- मुख्य समन्वयक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड, राँची/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/ दुमका/जमशेदपुर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ गुमला/ जमशेदपुर/ चाईबासा/दुमका/देवघर/इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। मुख्य वन संरक्षक -सह- मुख्य समन्वयक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड, राँची को निदेश दिया जाता है कि कार्यान्वित कार्य स्थलों की सूची समेकित कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।


अनुलग्नक :- यथोक्त ।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-44/2019- 935 दिनांक- 26/9/19

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/ खूँटी/ गुमला/ लोहरदगा/ सिमडेगा/ दुमका/ पाकुड़/ गोड्डा/ साहेबगंज/ जामताड़ा/ जमशेदपुर/ चाईबासा/ सरायकेला-खरसावां को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापित लाह प्रसंस्करण इकाईयों में अतिरिक्त कार्य (Lac बनाने हेतु भट्टी के लिए सामग्री/उपस्कर आदि हेतु 2.00 लाख प्रति यूनिट) हेतु प्रमंडलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वन प्रमंडल का नाम	स्थापित लाह प्रसंस्करण इकाईयों की संख्या	प्राकलित राशि	वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख में)		
					मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	ii	iii	iv	v	vi	vii
क	राँची रीजन						
1	राँची वन प्रमंडल, राँची ✓	राँची वन प्रमंडल, राँची	1	2.000	1.400	0.600	2.000
2	खूँटी वन प्रमंडल, खूँटी ✓	खूँटी वन प्रमंडल, खूँटी	3	6.000	4.200	1.800	6.000
3	गुमला वन प्रमंडल, गुमला ✓	गुमला वन प्रमंडल, गुमला	2	4.000	2.800	1.200	4.000
4	सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा ✓	सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा	2	4.000	2.800	1.200	4.000
योग :-			8	16.000	11.200	4.800	16.000
ख	विश्व खाद्य कार्यक्रम						
1	विश्व खाद्य कार्यक्रम, चार्डबासा ✓	सरायकेला वन प्रमंडल	1	2.000	1.400	0.600	2.000
2	विश्व खाद्य कार्यक्रम, चार्डबासा ✓	चार्डबासा वन प्रमंडल	1	2.000	1.400	0.600	2.000
3	विश्व खाद्य कार्यक्रम, दुमका ✓	साहेबगंज वन प्रमंडल	1	2.000	1.400	0.600	2.000
योग :-			3	6.000	4.200	1.800	6.000
कुल योग :-			11	22.000	15.400	6.600	22.000

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,

झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जानेवाली "तद्यु वन पदार्थ का उत्पन्न" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोग) के अंतर्गत Lac Processing Unit, Tree-Borne Oil seeds Processing Unit, Forest Nut (Chironji) Processing Unit की स्थापना से संबंधित प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वन प्रमण्डल का नाम	कार्य विवरणी	भौतिक लक्ष्य	प्राक्कलित राशि	वित्तीय लक्ष्य			
						मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल	
i	ii		iii	iv		vi	vii	viii	
A Lac Processing Unit की स्थापना									
1	सैंची वन प्रमंडल, सैंची ✓	सैंची वन प्रमंडल, सैंची	Washroom के साथ Lac Processing Unit की स्थापना (17.158 लाख प्रति यूनिट), Lac Processing मशीन का क्रय (2.5 लाख प्रति यूनिट), Soak pit का निर्माण (0.176 लाख प्रति यूनिट), Submersible Pump का क्रय एवं Deep Boaring (1.572 लाख प्रति यूनिट), Generator Set का क्रय (2.507 लाख प्रति यूनिट) एवं कार्य शुरू करने के लिए समिति को Seed money (2.00 लाख प्रति यूनिट)	2	51.826	29.500	22.326	51.826	
2	गुमला वन प्रमंडल, गुमला ✓	गुमला वन प्रमंडल, गुमला		1	25.913	14.750	11.163	25.913	
3	खूँटी वन प्रमंडल, खूँटी ✓	खूँटी वन प्रमंडल, खूँटी		1	25.913	14.750	11.163	25.913	
4	सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा ✓	सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा		1	25.913	14.750	11.163	25.913	
योग :-				5	129.565	73.750	55.815	129.565	
B Tree-Borne Oil Seeds Processing Unit की स्थापना									
1	सैंची वन प्रमंडल, सैंची ✓	सैंची वन प्रमंडल, सैंची	मशीन रुम एवं Working Shed का निर्माण (5.462 लाख प्रति यूनिट), Oil Expeller मशीन का क्रय (4.720 लाख प्रति यूनिट), जेनरेटर सेट का क्रय (0.600 लाख प्रति यूनिट) तथा प्रारंभिक संचालन पर व्यय एवं कार्य शुरू करने के लिए समिति को Seed money (2.00 लाख प्रति यूनिट)	1	12.782	7.627	5.155	12.782	
2	गुमला वन प्रमंडल, गुमला ✓	गुमला वन प्रमंडल, गुमला		2	25.564	15.254	10.310	25.564	
3	खूँटी वन प्रमंडल, खूँटी ✓	खूँटी वन प्रमंडल, खूँटी		1	12.782	7.627	5.155	12.782	
4	सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा ✓	सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा		1	12.782	7.627	5.155	12.782	
5	जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा ✓	जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा		1	12.782	7.627	5.155	12.782	
6	विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमंडल, दुमका ✓	दुमका वन प्रमंडल		1	12.782	7.627	5.155	12.782	
योग :-				7	89.474	53.389	36.085	89.474	

क्र.सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वन प्रमण्डल का नाम	कार्य विवरणी	भौतिक लक्ष्य	प्राक्कलित राशि	वित्तीय लक्ष्य		
						मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii		iii	iv		vi	vii	viii
C	Forest Nut (Chironji) Processing Unit की स्थापना							
1	सैन्धी वन प्रमंडल, सैन्धी ✓	सैन्धी वन प्रमंडल, सैन्धी	Chironji Seed Breaking Machine का क्रय (5.074 लाख प्रति यूनिट), शेड का निर्माण (5.462 लाख प्रति यूनिट), जेनरेटर सेट का क्रय (0.600 लाख प्रति यूनिट) तथा प्रारंभिक संचालन पर व्यय एवं कार्य शुरू करने के लिए समिति को Seed money (2.00 लाख प्रति यूनिट)	1	13.136	7.627	5.509	13.136
2	खूँटी वन प्रमंडल, खूँटी ✓	खूँटी वन प्रमंडल, खूँटी		2	26.272	15.254	11.018	26.272
योग :-				3	39.408	22.881	16.527	39.408
कुल योग :-				15	258.447	150.020	108.427	258.447

प्रधान मुख्य वन सहायक, विकास,
झारखण्ड, सैन्धी।


वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जानेवाली लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोगना) के अन्तर्गत रीजन स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समिति के उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रेरणा स्वरूप परिसंपत्तियों के सृजन हेतु राशि उपलब्ध कराया जाना (प्रथम-5.00 लाख रुपये, द्वितीय-3.00 लाख रुपये एवं तृतीय-2.50 लाख रुपये कुल 10.50 लाख रुपये प्रति रीजन) का प्रमंडलवार उप-आवंटित वित्तीय लक्ष्य

क्र. सं.	रीजन का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	कार्य विवरणी/भौतिक लक्ष्य	प्राक्कलित राशि	वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख में)		
					मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
1	राँची ✓	राँची वन प्रमंडल, राँची	संयुक्त वन प्रबंधन समिति के उत्कृष्ट कार्य हेतु पारितोषित वितरण	10.500	10.500	0.000	10.500
3	दुमका ✓	दुमका वन प्रमंडल, दुमका ✓	संयुक्त वन प्रबंधन समिति के उत्कृष्ट कार्य हेतु पारितोषित वितरण	10.500	10.500	0.000	10.500
4	जमशेदपुर ✓	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	संयुक्त वन प्रबंधन समिति के उत्कृष्ट कार्य हेतु पारितोषित वितरण	10.500	10.500	0.000	10.500
योग :-				31.500	31.500	0.000	31.500

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।


वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जानेवाली लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत प्रमंडल स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समिति के उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रेरणा स्वरूप परिसंपत्तियों के सृजन हेतु राशि उपलब्ध कराया जाना (प्रथम-3.00 लाख रुपये, द्वितीय-2.00 लाख रुपये एवं तृतीय-1.00 लाख रुपये भारत सरकार के NAEB's से समिति के चयन हेतु 0.300 लाख रुपये कुल 6.30 लाख रुपये प्रति वन प्रमंडल) का कार्य का उप-आवंटित वित्तीय लक्ष्य

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	प्राक्कलित राशि	वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख में)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
1	राँची वन प्रमंडल, राँची ✓	6.300	6.300	0.000	6.300
2	खूँटी वन प्रमंडल, खूँटी ✓	6.300	6.300	0.000	6.300
3	गुमला वन प्रमंडल, गुमला ✓	6.300	6.300	0.000	6.300
4	लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा ✓	6.300	6.300	0.000	6.300
5	सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा ✓	6.300	6.300	0.000	6.300
10	दुमका वन प्रमंडल, दुमका ✓	6.300	6.300	0.000	6.300
11	पाकुड़ वन प्रमंडल, पाकुड़ ✓	6.300	6.300	0.000	6.300
12	गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा ✓	6.300	6.300	0.000	6.300
13	साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज ✓	6.300	6.300	0.000	6.300
15	जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा ✓	6.300	6.300	0.000	6.300
16	सारण्डा वन प्रमंडल, चाईबासा ✓	6.300	6.300	0.000	6.300
17	कोल्हान वन प्रमंडल, चाईबासा ✓	6.300	6.300	0.000	6.300
18	पोड़ाहाट वन प्रमंडल, चाईबासा ✓	6.300	6.300	0.000	6.300
19	चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा ✓	6.300	6.300	0.000	6.300
20	सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला ✓	6.300	6.300	0.000	6.300
21	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर ✓	6.300	6.300	0.000	6.300
कुल योग :-		100.800	100.800	0.000	100.800


 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
 झारखण्ड, राँची।
 ~

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत 50 मेट्रिक टन सीसल रेशा का उत्पादन का प्रमंडलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	भौतिक लक्ष्य (मेट्रिक टन में)	राशि लाख में		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi
1	वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, राँची	50.00	42.096	2.489	44.585
योग :-		50.00	42.096	2.489	44.585


 प्रधान-मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोगना) अन्तर्गत Lac बनाने हेतु भट्टी के लिए सामग्री/उपस्कर आदि (2.00 लाख प्रति यूनिट) हेतु प्रमंडलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वन प्रमंडल का नाम	स्थापित लाह प्रसंस्करण इकाईयों की संख्या	प्राक्कलित राशि	वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख में)		
					मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	राँची वन प्रमंडल, राँची ✓	राँची वन प्रमंडल, राँची	1	2.000	1.400	0.600	2.000
2	खूँटी वन प्रमंडल, खूँटी ✓	खूँटी वन प्रमंडल, खूँटी	1	2.000	1.400	0.600	2.000
3	गुमला वन प्रमंडल, गुमला ✓	गुमला वन प्रमंडल, गुमला	1	2.000	1.400	0.600	2.000
4	सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा ✓	सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा	1	2.000	1.400	0.600	2.000
योग :-				8.000	5.600	2.400	8.000


प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

योजना का नाम:- लघु वन पदार्थों का उन्नयन योजना
50 मे0 टन सीसल रेशा का उत्पादन वित्तीय वर्ष-2019-20 के लिए।

मजदूरी दर रू0- 249.83/- प्रति मानव दिवस

क्र० सं०	कार्य विवरणी	मानव दिवस	मजदूरी (रू० में)	आपूर्ति एवं सामग्री (रू० में)	कुल (रू० में)
1	2	3	4	5	6
1	1000 कि० ग्राम शुष्क रेशा हेतु 33300 कि० हरी पतियों का संग्रहण	143	1786284.50	0.00	1786284.50
2	33300 कि० ग्राम हरे पत्तों को साईट प्लान्ट तक परिवहन व्यय	24	299796.00	0.00	299796.00
3	33300 कि० ग्राम हरे पतियों का डीकोटेशन करने का कार्य	76	949354.00	0.00	949354.00
4	33300 कि० ग्राम हरे पतियों से प्राप्त रेशा धुलाई सुखाने का कार्य	47	587100.50	0.00	587100.50
5	शुष्क सीसल रेशा का वजन करना बण्डल बनाना तथा भण्डारण कार्य	47	587100.50	0.00	587100.50
6	डीजल, मोबिल, ग्रीस एवं मरम्मत इत्यादि पर व्यय	0	0.00	30000.00	30000.00
7	डीजल 50 दिन x 16 x 4.5 ली० प्रति घंटा = 3600 लीटर औसत @ 76/- = Rs. 2,73,600.00 (50 मे० टन के लिये औसत) = Rs. 2,73,600.00	0	0.00	218880.00	218880.00
	योग:-	337	4209635.50	248880.00	4458515.50

(चौवालीस लाख अठावन हजार पाँच सौ पन्द्रह रुपये पच्चास पैसे मात्र)


 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
 झारखण्ड, राँची।

✓



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चाहू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-44/2019/935

दिनांक - 26-Sep-2

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796090103 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	62800	DRNFWL013 SHABAALAM ANSARI DFO, RANCHI FOREST DIVISION RA	6,435,400.00 रुपये चौसठ लाख पैतीस हजार चार सौ
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			
2	S 19 240601796090103 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	62801	RNCFORK01 NIRANJAN PRASAD DEO D.F.O KHUNTI	4,953,100.00 रुपये उनचास लाख तीरपन हजार एक सौ
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			
3	S 19 240601796090103 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	62802	GMLFOR001 SRIKANT D.F.O. GUMLA	4,050,400.00 रुपये चालीस लाख पचास हजार चार सौ
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			

15,438,900.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड चौपन लाख अडतीस हजार नौ सौ

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF, DEV. JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवृत्ति राशि
4	S 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	62807	LDGFOR001 VIKASH KUMAR UJJWAL DIV.FOREST OFFICER	630,000.00 रुपये छः लाख तीस हजार
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			
5	S 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	62808	SDGFOR002 PRAWESH AGRAWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	3,287,700.00 रुपये बत्तीस लाख सित्तासी हजार सात सौ
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			
6	S 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	62810	DMKFOR010 SOURAV CHANDRA D.F.O.DUMKA	1,680,000.00 रुपये सोलह लाख अस्सी हजार
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			

योग:

5,597,700.00

क्रमिक योग:

रुपये दो करोड दस लाख छत्तीस हजार छः सौ

21,036,600.00

(SBI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	62831	PKRFOR001 VINAY KANT MISHRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	630,000.00 रुपये छः लाख तीस हजार
State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA				
8	S 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	62833	GDDFOR164 ARVIND KUMAR DEO GODDA FOREST DIVISION	630,000.00 रुपये छः लाख तीस हजार
State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA				
9	S 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	62834	SBJFOR001 VIKAS PALIWAL DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	630,000.00 रुपये छः लाख तीस हजार
State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA				

योग:

1,890,000.00

क्रमिक योग:

रुपये दो करोड उन्तीस लाख छब्बीस हजार छः सौ

22,926,600.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF, DEV. JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	62835	JMTFOR001 SUSHIL SOREN. D.F.O. JAMTARA	1,392,700.00 रुपये तेरह लाख बयानवे हजार सात सौ
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			
11	S 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	62837	SGHFOR011 SRI RAJNEESH KUMAR D.F.O.SARANDA FOREST DIV.IFS	630,000.00 रुपये छः लाख तीस हजार
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			
12	S 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	62839	SGHFOR002 SRI ABHISHEK BHUSHAN IFS D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA	630,000.00 रुपये छः लाख तीस हजार
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			

योग:

2,652,700.00

क्रमिक योग:

रुपये दो करोड पचपन लाख उन्नासी हजार तीन सौ

25,579,300.00

(SRI VIKRAM CHANDAN GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	62840	SGHFOR003 SRI.SHIV KUMAR PRASAD D.F.O.PORAHAT FOREST DIV.	630,000.00 रुपये छः लाख तीस हजार
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			
14	S 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	62841	SGHFOR010 SATYAM KUMAR (I.F.S.) DFO,CHAIBASA FOREST DIV.	630,000.00 रुपये छः लाख तीस हजार
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			
15	S 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	62843	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	630,000.00 रुपये छः लाख तीस हजार
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			

योग:

1,890,000.00

क्रमिक योग:

रुपये दो करोड चौहत्तर लाख उनहत्तर हजार तीन सौ

27,469,300.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF,DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विषय कोड	एकरोस नं	निकासी एवं व्यवयन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	62844	JSRFOR051 SRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	1,680,000.00 रुपये सोलह लाख अस्सी हजार
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			
17	S 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	62845	SGHFOR012 SRI ANIL KUMAR SHRIVASTAWA D.F.O. W. F. PRD.DIV.CBSA.	280,000.00 रुपये दो लाख अस्सी हजार
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			
18	S 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	62846	DMKFOR004 SRI RAJ KISHOR CHAUDHARY D.F.O.W.F.P.DUMKA	902,700.00 रुपये नौ लाख दो हजार सात सौ
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			

योग:

2,862,700.00

क्रमिक योग:

रुपये तीन करोड तीन लाख बत्तीस हजार

30,332,000.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	62849	DRNFWL032 RAJIV RANJAN CF & STATE SILVICULTURIST JHA	4,209,600.00 रुपये बयालीस लाख नौ हजार छः सौ
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			
20	S 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	62894	DRNFWL013 SHABA ALAM ANSARI DFO, RANCHI FOREST DIVISION RA	3,419,000.00 रुपये चौतीस लाख उन्तीस हजार
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			
21	S 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	62895	RNCFORK01 NIRANJAN PRASAD DEO D.F.O KHUNTI	2,973,600.00 रुपये उन्तीस लाख तीहत्तर हजार छः सौ
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			

योग:

10,602,200.00

क्रमिक योग:

रुपये चार करोड नौ लाख चौतीस हजार दो सौ

40,934,200.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आकंटित राशि
22	S 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	62896	GMLFOR001 SRIKANT D.F.O. GUMLA	2,327,300.00 रुपये तेइस लाख सत्ताइस हजार तीन सौ
23	S 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	62897	SDGFOR002 PRAWESH AGRAWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	1,811,800.00 रुपये अठारह लाख ग्यारह हजार आठ सौ
24	S 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	62898	JMTFOR001 SUSHIL SOREN. D.F.O. JAMTARA	515,500.00 रुपये पाँच लाख पंद्रह हजार पाँच सौ

योग:

4,654,600.00

क्रमिक योग:

रुपये चार करोड पचपन लाख अठ्यासी हजार आठ सौ

45,588,800.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
25	S 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	62901	SGHFOR012 SRI ANIL KUMAR SHRIVASTAWA D.F.O. W. F. PRO.DIV.CBSA.	120,000.00 रुपये एक लाख बीस हजार
26	S 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	62903	DMKFOR004 SRI RAJ KISHOR CHAUDHARY D.F.O. W.F.P.DUMKA	575,500.00 रुपये पाँच लाख पचहत्तर हजार पाँच सौ
27	S 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	62905	DRNFWL032 RAJIV RANJAN CF & STATE SILVICULTURIST JHA	248,900.00 रुपये दो लाख अड़तालीस हजार नौ सौ

योग:

944,400.00

क्रमिक योग:

रुपये चार करोड पैंसठ लाख तैतीस हजार दो सौ

46,533,200.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI